

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर

क्रमांक :- शिबिग/माध्यमिक/छा.प्र.प्र./अ-1/पी.एम्.एम.एफ.एस.सी-स्टूडेंट्स(सी.एस.एस.)/विज्ञप्ति /2016-17/ दिनांक :- 23/3/16

दिशा -निर्देश

विषय : अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं (कक्षा 9 व 10) हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष-2016-16 के आवेदन बाबत ।

उपरोक्त विषयांतर्गत योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार सूचित कर निर्देश दिए जाते हैं।

1. आवेदन पत्र:-

आवेदन भारत सरकार द्वारा निर्धारित नेशनल स्कालरशिप वेब पोर्टल NSP 2.0 वेबसाइट www.scholarship.gov.in पर किया जावेगा। समस्त विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना है। संस्था प्रधान इस कार्य में विद्यार्थियों का आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करेंगे।

2. पात्रता/शर्तें:-

i.	छात्र-छात्राए अनुसूचित जाति से संबंधित हो।
ii.	माता-पिता/सरंक्षक की आय 2.00लाख वार्षिक से अधिक नहीं हो। आय प्रमाण पत्र प्रवेश के समय एक बार ही लिया जावेगा तथा वार्षिक आय की गणना में मकान भत्ता शामिल नहीं किया जावे।
iii.	अन्य किसी केन्द्र प्रवर्तित योजना से छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हो।
iv.	छात्र-छात्रा राजकीय विद्यालय में नियमित/पूर्णकालिक अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय में अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा संचालित मॉडल स्कूल में अध्ययनरत हो।
v.	छात्र-छात्रा अध्ययनरत कक्षा के लिए एक बार ही पात्र होगा। दूसरे वर्ष उसी कक्षा में अध्ययन करने पर पात्र नहीं होगा।
vi.	यह छात्रवृत्ति एक शिक्षण वर्ष में अधिकतम 10 माह के लिए ही देय होगी।
vii.	यदि छात्र/छात्रा अपने मूल राज्य से बाहर अन्य किसी राज्य में अध्ययन कर रहे हो तो वे अपने मूल राज्य के सक्षम अधिकारी को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करेंगे।
viii.	समस्त आवेदनकर्ता विद्यार्थियों आधार कार्ड नंबर आवश्यक होंगे साथ ही आवेदक का बैंक खाता उसके आधार नंबर से सीडेड(लैंक) होना आवश्यक है। इसके अभाव में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो पायेगी।

3. छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार होगी:

विवरण	गैर छात्रावास	छात्रावासित
छात्रवृत्ति दर प्रतिमाह	150	350
पुस्तके एवं एडहोक ग्रांटप्रतिवर्ष(एकमुश्त)	750	1000

(i) यह छात्रवृत्ति 12 मई या कक्षा में प्रवेश माह से देय होगी तथा सत्र समाप्ति या परीक्षा समाप्ति तक के लिए देय होगी। यदि किसी छात्र-छात्रा का प्रवेश किसी माह की 20 तारीख के बाद होता है तो उसे छात्रवृत्ति अगले माह से देय होगी।

(ii) सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर निशक्त छात्र-छात्राओ को Student Oriented Component के अंतर्गत तीन हजार रुपये एवं निम्नानुसार अतिरिक्त भत्ते भी दिए जावेंगे।


1.	मंथली रीडर अलाऊंस फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स	Rs .160/-
2.	मंथली ट्रांसपोर्ट अलाऊंस फॉर स्टूडेंट्स विथ डीसेबिलिटीस	Rs .160/-
3.	मंथली एस्कॉर्ट अलाऊंस फॉर सेवैली डिसएबल्ड	Rs .160/-
4.	मंथली हेल्पर अलाऊंस	Rs. 160/-
5.	मंथली कोचिंग अलाऊंस टू मेंटली रिटारटेड एंड मेंटली इल स्टूडेंट्स	Rs. 240/-

4..सलग दस्तावेज़:-

www.scholarship.gov.in पर आवेदन करते समय वेबसाइट पर बांछित दस्तावेज अपलोड करने आवश्यक होंगे।


5.समय सारणी :- आवेदन पत्र हेतु निम्नानुसार समय सारणी प्रभावी होगी।

क्रम संख्या	विवरण	निर्धारित दिनांक
1	NSP पोर्टल 2.0 पर विधार्थी पंजीकरण एवं पूर्ण आवेदन करने की अंतिम दिनांक -	15/8/16


(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।

1. शासन उप सचिव ,शिक्षा(ग्रुप-6)विभाग,राजस्थान सरकार –जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. आयुक्त –जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ,उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. निदेशक ,संस्कृत शिक्षा विभाग ,जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है की उपरोक्त वर्णित छात्रवृति हेतु आप अपने कार्यालय स्तर से पृथक आदेश जारी कर अपने अधीन समस्त संस्था प्रधानों को पाबंद करें
4. मुख्यालेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा राजस्थान ,बीकानेर
5. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा को प्रेषित है।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय को आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ प्रेषित है।
7. सिस्टम एनालिसिस्ट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रति प्रेषित है।
8. प्रभारी प्रभाग – “ब” छात्रवृति एवं प्रोत्साहन अनुभाग


प्रभारी अधिकारी (छात्रवृति)
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर